

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1971/फाल्गुन 4, 1892

No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1971/PHALGUNA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd February 1971

SUBJECT.—Imports from U.S.A. under U.S. AID Commodity Programme Assistance—AID Loan No. 386-H-207.

No. 20-ITC(PN)/71.—Imports are aware that import licences granted under the U. S. AID Commodity Programme Assistance were hitherto subject to the condition that no order can be placed on a U. S. Supplier if it involved opening of a letter of credit or an individual shipment of value less than Rs. 41,250/- (\$ 5500) (CIF).

In order to meet certain small-value requirements of industry, particularly in regard to spare parts, components etc., the matter has been reviewed, and it has been decided, with the concurrence of the U. S. AID authorities, to waive the minimum value limit for licensing (Rs. 82,500) as well as the minimum value

limit for an individual order or letter of credit and shipment under AID Loan No. 207 in respect of a limited number of items where the import requirements are considered to be generally and genuinely of a small value. The procedure of payment to the U. S. Supplier agreed to in respect of such small-value transactions is that of reimbursement (by U. S. AID) of payments made directly by Indian importers to U.S. Suppliers as against the letter of commitment-cum-letter-of-credit procedure prescribed for transactions under the U.S. AID Programme. Because of this difference in payment procedure the import of small-value requirements in the said categories of items will be permitted only under separate licences granted under the reimbursement procedure.

Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 19-ITC(PN)/71, dated the 22nd February, 1971 announces the selected list of items eligible for import under U. S. AID Loan No. 207, which qualify for import in small value (hereinafter referred to as qualifying items) as well as the details of the reimbursement procedure of payment which would govern the import. The import of all other items eligible under U. S. AID Loan No. 207 will continue to be subject to the existing minimum value limit of \$ 5500 (CIF) in respect of each shipment and will be governed by the Letter of Commitment procedure as usual. The terms and conditions governing the import of these other items are laid down in Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 17-ITC(PN)/71, dated the 8th February, 1971.

Large Scale Units who have to apply through the sponsoring authorities may indicate to the sponsoring authorities, wherever the geographic source of the materials or past practice indicates the possibility of licensing under U. S. AID Loans, the total value of imports of the qualifying items for which they need a separate licence under the reimbursement procedure. This value should be kept down to the minimum possible level. Units in the priority Sector who are required to separately apply for import of spare parts on an annual basis, and who have the flexibility of importing spare parts upto 25 per cent of the face value against their import licences for raw materials and components, should take into account these special feature while indicating the values for which they need separate licences.

Units in the small scale sector and other units, who are required to apply direct to the licensing authorities concerned, should indicate, on the basis of the pattern of licences earlier obtained by them, the value (out of the actual value likely to be licensed under U. S. AID Loans) of the qualifying items for which they need a separate licence under the reimbursement procedure, keeping this value down to the minimum possible level. Units belonging to the priority groups who are required to separately apply for import of spare parts on an annual basis and who have the flexibility of importing spare parts upto 25 per cent of the face value against their licence for raw materials and components should take into account these special features while working out the values for which they need separate licences.

The option once exercised will be final and no request for changes in the value will be entertained at a later stage.

The facility of importing under U.S. AID Loans requirements of qualifying items valued at less than \$ 5500 (CIF) under the reimbursement procedure, will come into force from 10th March, 1971 on which date the licensing under the U. S. AID Commodity Programme Assistance will commence to be under Loan No. 207. Importers holding licences issued prior to this date who wish to be considered for this facility and importers who wish to be considered for this facility for their emergency requirements for non-qualifying items may take up the matter with the Department of Industrial Development (AID Section).

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1971

विषय :—संयुक्त राज्य ए०आई०डी० पण्य वस्तु कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से आयात—ए०आई०डी० ऋण संख्या—386—एच—207 ।

सं० 20-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71—आयातकों को यह मालूम है कि संयुक्त राज्य ए०आई०डी० पण्यवस्तु कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए आयात लाइसेंस अभी भी इस शर्त के अधीन थे कि यु० एम० संभरक को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, यदि उसके लिए साख—पत्र खोलना शामिल होगा या वैयक्तिक पोत लदान का मूल्य 41,250 रुपये (5500 डालर) (सी आई एफ) से कम हो।

उद्योग की कुछ अल्प-मूल्य की जरूरतों को खासकर फालतू पुर्जों, संघटकों आदि से सम्बंधित को पूरा करने के लिये, मामले की पुनरीक्षा की गई है और लाइसेंस के लिये (82,500 रुपये) की न्यूनतम मूल्य सीमा और साथ ही वैयक्तिक आदेश या खास—पत्र के लिए न्यूनतम मूल्य को तथा ए० आई० डी० ऋण संख्या 207 के अन्तर्गत जहाज—लदान मर्दों की सीमित संख्या के संबंध में जहां अल्प मूल्य का सामान्य रूप से और विशुद्ध रूप से आयात की मार्गों पर विचार किया जाने वाला है, संयुक्त राज्य ए०आई०डी० प्राधिकारियों की सहमति के साथ इसे हटाने का निर्णय किया गया है। संयुक्त राज्य ए०आई०डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन के लिए वचन—पत्र और साख—पत्र की जो कार्य विधि निर्धारित है, उसके अनुसार यु० एम० संभरकों को भारतीय आयातकों द्वारा सीधे किए गए भुगतान को जो प्रतिपूर्ति (यु० एम० ए०आई०डी० द्वारा) है, उसके इस प्रकार के अल्प मूल्य कार्य सम्पादनों के संबंध में यु० एम० संभरकों को भुगतान किए जाने के लिए सहमति हो गई। भुगतान कार्यविधि में इस अन्तर के कारण मर्दों की उपर्युक्त श्रेणी के अन्दर अल्प मूल्य मांगों का आयात केवल प्रति पूर्ति कार्य विधि के अन्तर्गत अलग से दिए गए लाइसेंस के अन्तर्गत ही होगा।

विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक संख्या 19, दिनांक 22-2-71 यु० एम० ए० आई० डी० ऋण संख्या 207 के अन्तर्गत आयात के लिए उपर्युक्त मर्दों की चुनी हुई सूची की घोषणा करती है, तो अल्प मूल्य (इसके बाद इनकी विशेषक मर्दों के रूप में उल्लिखित किया गया है) के अन्तर्गत आयात के योग्य होती है, साथ ही भुगतान की प्रतिपूर्ति कार्य विधि के विवरणों की भी घोषणा करती है जो पुनार्याति को विनियमित करेगी। यु० एम० ए०आई०डी० ऋण संख्या 207 के अन्तर्गत उपर्युक्त अन्य सभी मर्दों का आयात प्रत्येक पोतलदान के सम्बन्ध में 5500 डालर (सी आई एफ) की वर्तमान न्यूनतम मूल्य सीमा के अधीन जारी रहेगा और पूर्ववत् रूप में वचन—पत्र कार्य विधि द्वारा विनियमित होगा। इन अन्य मर्दों के आयात को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 17 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 8-2-71 में निर्धारित हैं।

वृहद् पैमाने एकक, जो उत्तरदायी प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदन करने वाले हैं, जहां कहीं, यु०एस० ए०आई०डी० ऋण के अन्तर्गत लाइसेंस देने की संभावना को माल का भौगोलिक समाधान या पूर्वकार्य प्रणाली संकेत करती है, तो विशेषक मदों के आयात के कुल मूल्य जिनके लिये प्रतिपूर्ति कार्य विधि के अन्तर्गत एक अलग लाइसेंस की जरूरत होती है तो इसका संकेत उत्तरदायी प्राधिकारियों को दें। इस मूल्य को संभावित न्युनतम सीमा तक रखना चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त वे एकक जिनके लिए वार्षिक आधार पर फालतू पुर्जों के आधान के लिए अलग से आवेदन करना वांछित है और जिनको कच्चे माल और संघटकों के लिए उनके आयात लाइसेंसों के लिए अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत तक फालतू पुर्जों के आयात के लिए नम्यता प्राप्त है, मूल्य को संकेतित करते समय जिसके लिए उन्हें एक अलग लाइसेंस की जरूरत है, तो इन विशेष रूपों को हिसाब में लेना चाहिए।

लघु पैमाने क्षेत्र के तथा अन्य वे एकक जो संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करना चाहते हैं, जिस आधार पर उन्हें पहले लाइसेंस प्राप्त हुआ है, उस तरीके को उन्हें विशेषक मदों के मूल्य (यु०एस० ए०आई०डी० ऋण के अन्तर्गत लाइसेंस में किए जाने वाले वास्तविक मूल्य को छोड़ कर) को जिसके लिए उन्हें प्रतिपूर्ति कार्य विधि के अन्तर्गत इस मूल्य को संभावित सीमा तक कायम रखते हुए अलग से एक लाइसेंस की जरूरत होती है, तो इसे संकेतित करना चाहिए।

प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के एकक जिनके लिए वार्षिक आधार पर फालतू पुर्जों के आयात के लिए अलग से आवेदन करना वांछित है और जिनको कच्चे माल और संघटकों के लिए उनके आयात लाइसेंस के लिए अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत तक फालतू पुर्जों के आयात के लिए नम्यता प्राप्त है, मूल्यों का अनुमान लगाते समय जिसके लिए उन्हें एक अलग लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, इन विशेष रूपों को हिसाब में लेना चाहिए।

एक बार का चुनाव अन्तिम चुनाव होगा और मूल्य में परिवर्तन करने के लिए किए गए अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

यु०एस० ए०आई०डी० ऋण के अन्तर्गत आयात के लिए दी जाने वाली सुविधा प्रतिपूर्ति कार्य विधि के अन्तर्गत 5500 डालर (सी आई एफ) से कम मूल्य रखने वाले विशेषक मदों की मांगों के लिए यु०एस० ए०आई०डी० ऋण के अन्तर्गत आयात के लिए दी जाने वाली सुविधा 10 मार्च, से लागू होगी जब ऋण संख्या 207 के अन्तर्गत यु०एस० ए०आई०डी० पण्यवस्तु कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत लाइसेंस की तारीख लागू की जाएगी। वे आयातक जिनके पास इस तारीख से पूर्ण जारी किए गए लाइसेंस हैं और जो इस सुविधा के लिए विचार करवाना चाहते हैं और वे आयातक जो अतिशेषक मदों के लिए अपनी आपात आवश्यकताओं के हेतु इस सुविधा के लिए विचार करवाना चाहते हैं, तो वे मामले को औद्योगिक विकास विभाग (ए०आई०डी० अनुभाग) के साथ उठावें।

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।